दहेज प्रताड़ना प्रावधान

सिक्के का दूसरा पहलू

दहेज प्रताड़ना से महिलाओं को बचाने के लिए जो कानून बनाया गया था, उसी का बेजा इस्तेमाल कर महिलाएं गलत फायदा उठा रही हैं. इसे रोकना जरूरी है, वरना यह पारिवारिक ढांचे को तहसनहस कर देगा...

विवाहित महिलाओं को सुरक्षा देने एवं उन्हें ससुराल में दहेज प्रताड़ना से बचाने की दृष्टि से भारतीय संसद ने 1983 में भारतीय दंड संहिता, 1860 में धारा 498 ए (25 दिसंबर, 1983 से प्रभावशील) जोड़ी थी. जिस समय आई.पी.सी. की धारा 498 ए लागू की गई थी उस समय की यह मांग रही होगी. वर्तमान में भी इस प्रावधान की उपादेयता को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, किंतु 25-26 साल के लंबे अंतराल ने स्थिति को बिलकुल उलट कर रख दिया है. यहां पर यह कहना भी अनुचित न होगा कि यह कानून महिलाओं के कल्याण के नाम पर बिना सोचेसमझे बनाया गया था. इस के बुरे प्रभावों या दुष्परिणामों की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया. परिणाम सामने है. 3-4 पंक्तियों के इस काले कानून की वजह से लाखों हंसतेखेलते घरपरिवार एवं जोड़े कानूनी दलदल में धंस कर रह गए हैं.

कानून का खुला दुरुपयोग

आज इस कानून का खुला दुरुपयोग हो रहा है. परिणामस्वरूप पति एवं पतियों के परिवार वाले, रिश्तेदार जम कर प्रताड़ित हो रहे हैं और पारिवारिक एवं सामाजिक तानाबाना छिन्नभिन्न होता जा रहा है. धारा 498 ए पारिवारिक एवं सामाजिक नींव को हिलाने का नहीं बल्कि जड़ से उखाड़ फेंकने का काम कर रही है. जाहिर है,

इस काले कानून के झूठे जाल में फंस कर लाखों घरपरिवारों की खुशियां काफूर हो चुकी हैं.

गहरा षड्यंत्र

यहां पर यह बात भी काबिलेगौर है कि धारा 498 ए के अधिकांश मामलों में रिपोर्ट रातोंरात नहीं लिखाई जाती बल्कि रिपोर्ट लिखाने से पूर्व पूरे योजनाबद्ध तरीके से गहरे षड्यंत्र के तहत कार्य किया जाता है. समाज एवं नगर में तरहतरह की बेसिरपैर की अफवाहें फैला कर पहले दहेज प्रताड़ना की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है. इस के बाद पुलिस एवं राजनीतिक प्रभाव का जम कर इस्तेमाल किया जाता है. ऐसी स्थिति में पति एवं रिपोर्ट में नामित पति के सारे रिश्तेदार किंकर्तव्यविमूढ़ की स्थिति में आ जाते हैं. जाहिर है, इन खुराफातों से पति एवं पति के परिवार का भरपूर शोषण किया जाता है. कुछ चालाक, तेज और शातिर महिलाओं एवं उन के मायके वालों ने इस कानून को धंधा ही बना लिया है. खुली धमकी दी जाती है कि या तो इतने पैसे दो नहीं तो धारा 498 ए के अंतर्गत जेल जाने के लिए तैयार रहो.

झूठ की काली कहानी

झूठझूठ और सिर्फ झूठ यह काली कहानी है आई.पी.सी. की धारा 498 ए की. केवल झूठ ही नहीं बल्कि इस में बेईमानी, भ्रष्टाचार और ब्लैकमेलिंग का भी खूब रंग चढ़ चुका है. आज धारा 498 ए एक ऐसी आग का रूप ले चुकी है, जो पारिवारिक एवं सामाजिक ढांचे को जलाने का काम कर रही है. इस कानून के खुले दुरुपयोग को रोकना आज के समय की महती आवश्यकता बन चुकी है.

बड़ेबड़े शहरों में धारा 498 ए के तहत रिपोर्ट करने की बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है, जबकि छोटेछोटे गांवों, कसबों और शहरों में भी इस बीमारी ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं. धारा 498 ए का ही दुष्परिणाम है कि पति के वृद्ध, बीमार एवं लाचार मातापिता तक को या तो दरदर की ठोकरें खाने या फिर जेल जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है.

आंकड़ों में निर्दोष व्यक्तियों की गिरफ्तारियां

धारा 498 ए के अंतर्गत साल 2003, 2004, 2005 एवं 2006 में क्रमश: 1,10,623, 1,25,657, 1,27,560 एवं 1,37,180 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जबकि निर्दोषों की संख्या क्रमश: 90,824, 99,700, 1,02,589 एवं 1,07,402 थी. अर्थात इन 4 वर्षों में 5,01,020 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जबकि इस अवधि में निर्दोष घोषित किए गए लोगों की संख्या 4,00,515 अर्थात 80% थी. इस से स्पष्ट है कि लगभग हर 4-5 मिनट में एक निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि धारा 498 ए के तहत लगभग हर 21 मिनट में एक निर्दोष महिला को गिरफ्तार किया जा रहा है. साल 2003 से 2006 में क्रमश: 26,465, 27,832, 28,745 एवं 31,253 महिलाओं की गिरफ्तारी की गई, जबकि इस अवधि में निर्दोष घोषित की गई महिलाओं की संख्या क्रमश: 21,728, 22,083, 23,118 एवं 24,469 थी. इस प्रकार साल 2003 से 2006 तक अर्थात 4 वर्षों में 1,14,295 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई, जबकि इन 4 वर्षों में 91,398 निर्दोष महिलाओं को अदालतों ने बाइज्जत बरी किया.

दुख की बात यह है कि इस धारा के आतंकी जाल में सामान्य वय के पुरुष एवं महिलाएं ही नहीं बल्कि बड़ेबूढ़े, लाचारबीमार एवं अपंग व्यक्तियों के साथसाथ छोटेछोटे मासूम बच्चे भी फंसे हुए हैं. साल 2003 से 2006 के दरम्यान 17,322 (अर्थात 2003 से 2006 तक क्रमश: 3,786, 4,324, 4,512 एवं 4,700) बूढ़े व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि इन 4 वर्षों में क्रमश: 3,108, 3,431, 3,629 एवं 3,680 अर्थात कुल 13,848 बूढ़े व्यक्ति न्यायालयों द्वारा बाइज्जत बरी किए गए यानी वे निर्दोष थे.

जहां तक अवयस्क बच्चों का सवाल है तो धारा 498 ए के अंतर्गत अवयस्क बच्चों के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है. प्रतिदिन एक अवयस्क बच्चे को धारा 498 ए के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा रहा है. साल 2003 में 297, 2004 में 294, 2005 में 339 और 2006 में 280 अवयस्क बच्चों को गिरफ्तार किया गया.

दहेज प्रताड़ना बनाम पति पक्ष प्रताड़ना

विवाहित महिलाओं या पत्नियों को दहेज प्रताड़ना से बचाने के लिए जो कानून बनाया गया है उस के खुले दुरुपयोग की वजह से निर्दोष पति एवं पतियों के निर्दोष परिवार वाले और रिश्तेदार जम कर प्रताड़ित हो रहे हैं. यह कानून गलत एवं चालाक औरतों के हाथों का खिलौना ही नहीं बल्कि उन के गलत आचरण, काली करतूतों एवं अपराधों तक पर परदा डालने का अचूक अस्त्र बन कर रह गया है. सच बात तो यह है कि यह कानून चालाक एवं शातिर किस्म की महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इस कानून के चलते कोई भी महिला अपने पति एवं पति के परिवार वालों को अपनी उंगली पर नचा सकती है. जाहिर है, इस कानून के खुले दुरुपयोग ने हंसतेखेलते घरपरिवार को उजाड़ना शुरू कर दिया है.

कानूनी अत्याचार का घिनौना नमूना

कानूनी अत्याचार का इस से घिनौना एवं बदसूरत उदाहरण क्या हो सकता है कि दहेज की बिना किसी मांग के बावजूद कोई भी भारतीय महिला अपने पति के परिवार वालों के विरुद्ध धारा 498 ए का केस दर्ज करा सकती है. इन हालातों में लड़के की शादी करने के बाद कभी भी पत्नी या बहू द्वारा धारा 498 ए के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने की धमकी देने पर पूरा परिवार सकते की हालत में आ जाता है. आज लोगों के मन में धारा 498 ए का खौफ इतना ज्यादा है कि रिपोर्ट दर्ज कराना जरूरी नहीं है. रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी से ही पूरे परिवार को सांप सूंघ जाता है.

काले कानून की वकालत

यों तो हर व्यक्ति या वर्ग इस काले कानून के खुले दुरुपयोग एवं दुष्परिणामों को देखते हुए इस का पुरजोर विरोध करेगा, किंतु निहित स्वार्थों एवं व्यावसायिक हितों को देखते हुए वकीलों एवं अन्य लोगों द्वारा इस कानून को समाप्त करने या इस में समुचित संशोधन करने का विरोध करना स्वाभाविक है. इस कानून में समुचित संशोधन के विरोध में वकीलों के स्वर उठ भी रहे हैं. वकीलों एवं अन्य लोगों की यह दलील पूर्णत: थोथी और खोखली है कि धारा 498 ए को यथावत रखा जाना चाहिए. इस में संशोधन इस कानून को दंतविहीन बना देगा. इस धारा के खुले दुरुपयोग के आरोप का बचाव करते हुए एडवोकेट शिपली जैन का यह कथन हास्यास्पद है कि इस कानून की वजह से ही बहुत से तलाक के मामले बचे हैं, जबकि हकीकत यह है कि धारा 498 ए की वजह से तलाक के मामले घटे नहीं बल्कि बढ़े हैं.

राष्ट्रीय स्तर पर खुली बहस

अब जबकि धारा 498 ए को लागू हुए लगभग 26 साल होने जा रहे हैं और सामान्यत: यह देखा जा रहा है कि धारा 498 ए के प्रावधान पूर्णत: विफल, हंसतेखेलते घरपरिवारों को उजाड़ने और समाज के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुए हैं. अत: धारा 498 ए को यथावत रखना निर्दोष व्यक्तियों के साथ अमानवीयता, क्रूरता और अपराध होगा, जबकि पत्नियों (महिलाओं) के कल्याण की दृष्टि से इस कानून को समाप्त करना भी उचित नहीं होगा. अत: राष्ट्रीय स्तर पर एक खुली बहस होनी चाहिए, जिस के आधार पर यह निर्णय लिया जाना चाहिए कि क्या धारा 498 ए को यथावत रखा जाए, इसे समाप्त कर दिया जाए या इस में समुचित एवं सामयिक संशोधन किए जाएं? **-सोमराज अग्रवाल** ●